

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]
No. 146]

दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2008/भाद्र 21, 1930
DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2008/BHADRA 21, 1930

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 172
[N.C.T.D. No. 172

भाग—IV
PART—IV

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

डीपीसीसी/ईआईए/एमआईएससी/2734-2753.—जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) के अनुसारण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 30 जुलाई, 2008 की सं. का.आ. 1888(अ) द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएस) का गठन किया है तथा उक्त प्राधिकरण की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से इसी तरह राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्य मूल्यांकन समिति का गठन किया।

2. और जबकि 30 जुलाई, 2008 की उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना के अनुसारण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएस) दिल्ली तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 29) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएएल) के प्रभावी कार्यों की देखभाल करने के लिए एजेंसी को अधिसूचित करती है।

3. अब इसलिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1888 (अ) के पैरा 5 तथा पैरा 10 के अनुसारण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अन्तर्राज्य बस टर्मिनल बिल्डिंग, चौथा तल, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 में स्थित दिल्ली पर्यावरण नियंत्रण समिति को सचिवालय

के रूप में कार्य करने के लिए एजेंसी के रूप में अधिसूचित करती है तथा उसे राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएस) दिल्ली तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएएल) दिल्ली के समस्त सांविधिक कार्यों के लिए सभी वित्तीय तथा संचारतंत्र संबंधी समर्थन प्रदान करेगी।

4. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य को बैठक उपस्थित शुल्क तथा यात्रा भत्ता देने की व्यवस्था करेगी। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति अलग से एक आदेश शीघ्र जारी करेगी।

5. भारत सरकार की दिनांक 30 जुलाई, 2008 उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार किया गया है :—

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. श्री जगदीश सागर, आईएस, भूतपूर्व,
बी-401, एसपीएस, रेजीडेंसी चमैव
खण्ड इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उ. प्र. | —अध्यक्ष
परियोजना प्रबंधन |
| 2. डॉ. एम. के. गुप्ता, विभागाध्यक्ष कैमिकल
इंजिनियरिंग विभाग आईआईटी दिल्ली,
हौज खास, नई दिल्ली | —सदस्य
पर्यावरण प्रबंधन |
| 3. सदस्य सचिव,
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति | —सदस्य सचिव |

6. भारत सरकार की दिनांक 30 जुलाई, 2008 उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्य निर्धारण समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :—

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | प्रो. सी. आर. बाबू, अक्रमित परिप्रणालियां पर्यावरणीय प्रबंधन केन्द्र (सीईएमडीई) पर्यावरण अध्ययन विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-07 | अध्यक्ष,
जीवन विज्ञान |
| 2. | डॉ. आर. के. खंडल, निदेशक, श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, 19, विश्वविद्यालय रोड, दिल्ली-07 | सदस्य, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया |
| 3. | श्री वी. एस. वर्मा, सदस्य (योजना), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं पदेन सदस्य, अपर सचिव, भारत सरकार | सदस्य, उर्जा क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन |
| 4. | प्रोफेसर सुबीर कुमार शहा, निदेशक (कुलपति), योजना एवं आर्किटेक्चर विद्यालय, 21, एस पी ए कॉम्प्लेक्स, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-65 | सदस्य, निर्माण क्षेत्र में सैक्टरल विशेषज्ञ, परियोजना प्रबंधन एवं जोखिम मूल्यांकन |
| 5. | डॉ. (श्रीमति) पी. मालारविजी, एसोसिएट प्रो., इन्स्टीट्यूट फार इन्टीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट नं. 2, लोदी इन्स्टीट्यूटशानल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-03 | सदस्य, पर्यावरणीय एकाईटिंग |
| 6. | प्रो. मिहिर देव, प्रोफेसर एवं निदेशक, पर्यावरणीय अध्ययन विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-07 | सदस्य, खनन क्षेत्र में सैक्टरल विशेषज्ञ |
| 7. | सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति | सचिव |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जे. के. दादू, सचिव

**ENVIRONMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 12th September, 2008

DPCC/EIA/MISC/2734—2753.—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Act 29 of 1986), and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006, the Ministry of Environment and Forests, Government of India has constituted State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi *vide* No. S.O. 1888 (E) dated 30th July, 2008 and to assist the said authority, the Central Government, in consultation with the State Government has constituted the State Level Expert Appraisal Committee as well;

2. And whereas, in pursuance of the above referred Notification dated 30th July, 2008, the Government of National Capital Territory of Delhi is to notify the Agency to look after Secretariat functions for the effective functioning of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the National Capital Territory of Delhi under Environment (Protection) Act, 1986 (Act 29 of 1986).

3. Now, therefore, in pursuance of paras 5 and 10 of the Notification No. S.O. 1888(E) dated 30th July, 2008 of

the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the Delhi Pollution Control Committee situated at ISBT Building, 4th Floor, Kashmere Gate, Delhi-110006, as the Agency to act as the Secretariat and shall provide all financial and logistic support in respect of all statutory functions of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi.

4. The Delhi Pollution Control Committee shall arrange to pay Sitting fee and Travelling Allowance to the Chairman and Members of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi. For this purpose DPCC will issue a separate order expeditiously.

5. The constitution of SEIAA as per Government of India aforesaid notification dated 30th July, 2008 is as follows :—

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Sh. Jagdish Sagar, IAS, Retd. B-401, SPS Residency, Vibhav Khand, Indrapuram, Ghaziabad, UP. | Chairman, Project Management |
| 2. | Dr. S. K. Gupta, Head Chemical Engineering, Deptt., IIT Delhi, Hauz Khas, New Delhi. | Member Environment Quality |
| 3. | Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee. | Member Secretary |

6. The constitution of State Level Expert Appraisal Committee as per Government of India aforesaid notification dated 30th July, 2008 is as follows :—

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Prof. C. R. Babu, Central for Environmental Sciences, Management of Degraded Eco-systems (CEMDE) School of Environment Studies, University of Delhi, Delhi-110007 | Chairman, Life Sciences |
| 2. | Dr. R. K. Khandal, Director, Shriram Institute of Industrial Research, 19, University Road, Delhi-110007 | Member, Environmental Impact Assessment Process |
| 3. | Sh. V. S. Verma, Member (Planning) Central Electricity Authority and ex-officio Additional Secretary to Government of India. | Member, Project Management in Engery Sector |
| 4. | Prof. Subir Kumar Saha, Director (Vice-Chancellor) School of Planning and Architecture, 21, SPA Complex, New Friends Colony, New Delhi-110065 | Member, Sectoral expert in construction sector, Project Management and Risk Assessment |
| 5. | Dr. (Mrs.) P. Malarvizhi, Associate Professor, Institute for Integrated Learning in Management No. 2, Lodhi Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003. | Member, Environmental Accounting |